वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम / 545

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एडं पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा/प्रे. 791 दि. 31.5.11

आदेश

विषयः ओला वृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों के बिलिंग माह दिसम्बर–2010, जनवरी–2011, फरवरी–2011 एवं मार्च–2011 के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत्।

राज्य सरकार ने इस वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु दिनांक 08.03.2011 को निम्न राहत पैकेज घोषित किया है।

(1) लघु एवं सीमांत कृषकों को जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह दिसम्बर–2010, जनवरी–2011, फरवरी–2011 एवं मार्च–2011 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।

(2) यह राहत पैकेज संबंधित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियंता (पवस), जिला कलेक्टर (सहायता) से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमांत काश्तकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्रापत कर संबंधित सहायक अभियंताओं को उपलब्ध कराऐगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियंता द्वारा बिलिंग माह दिसम्बर–2010, जनवरी–2011, फरवरी–2011 एवं मार्च–2011 के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाएं।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (A&R) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (A&R) इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेगें, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम के निदेशक मंडल की दिनांक 25 मई 2011 को आयोजित 177वीं बैठक के अनुसरण में जारी किया जाता हैं।

आज्ञा से

(डी.सी. भूरिंट)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है।